भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 738

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

738. श्री राजकुमार रोत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत कितनी मात्रा में और कौन-कौन से खाद्यान्न वितरित किये गए और तत्संबंधी वार्षिक बजट व्यय कितना है;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की सूची में अन्य मोटे अनाज (जैसे श्रीअन्न, ज्वार आदि) और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने का इरादा है और यदि हां, तो इन्हें कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं वितरित किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का प्रति व्यक्ति दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा बढ़ाने का इरादा है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में निम्न गुणवत्ता वाले गेहूं के वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जिला-वार संख्या कितनी है और कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, राजस्थान राज्य में विगत दो वर्षों में गेहूं का वितरण निम्नानुसार किया गया है:

- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई): 4.89 लाख टन (एलएमटी)
- प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच): 45.73 लाख टन (एलएमटी)
- कुल वितरित गेहूं: 50.62 लाख टन (एलएमटी)

...2/-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, पीएमजीकेएवाई और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की खरीद और वितरण पर एफसीआई और डीसीपी राज्य द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पूल के तहत राज्यों द्वारा राज्यों को सौंपे गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राज्यों को धनराशि भी जारी करता है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की गई उपरोक्त खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार है। राजस्थान एक गैर-डीसीपी राज्य होते हुए, राज्य द्वारा एफसीआई को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के कारण सीधे एफसीआई से धनराशि प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न (गेहूं और चावल) के वितरण के लिए आवंटित मात्रा तक अनाज उठाते हैं। विगत 2 वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को पीएमजीकेएवाई और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण हेतु एफसीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न पर एफसीआई द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2023-24	6487.48
2024-25	7111.14

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किए जाते हैं। अधिनियम में "खाद्यन्नों" को चावल, गेहूं अथवा मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। वर्तमान में, अधिनियम के अंतर्गत अन्य वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) एवं **(घ):** अधिनियम के अंतर्गत, जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एवई) के परिवार, जो कि समाज के सबसे निर्धनतम वर्ग से संबंधित हैं, वे प्रति परिवार, प्रति माह, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं वहीं प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति, प्रति माह, 5 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क पाने के पात्र हैं। वर्तमान में, लाभार्थियों की पात्रता में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

...3/-

(ङ.): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न के आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों को लाइसेंस जारी करने, तथा उचित दर दुकानों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि से संबंधित परिचालनात्मक दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन होते हैं। तदनुसार, इस विभाग को किसी भी स्रोत से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर, उन्हें जांच एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा विभाग के संबंधित प्रभाग/अनुभाग को प्रेषित कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कम गुणवत्ता वाले गेहूं के वितरण से संबंधित विशिष्ट शिकायत प्रकरणों का विभाग द्वारा अलग से रखरखाव अथवा संकलन नहीं किया जाता है। साथ ही, जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को प्रेषित की गई शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2021	2022	2023	2024	2025
शिकायतों की संख्या	54	72	93	121	148

*****